शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय, डौण्डी

जिला – बालोद (छ.ग.)

विवरण पत्रिका

सत्र – 2016–17

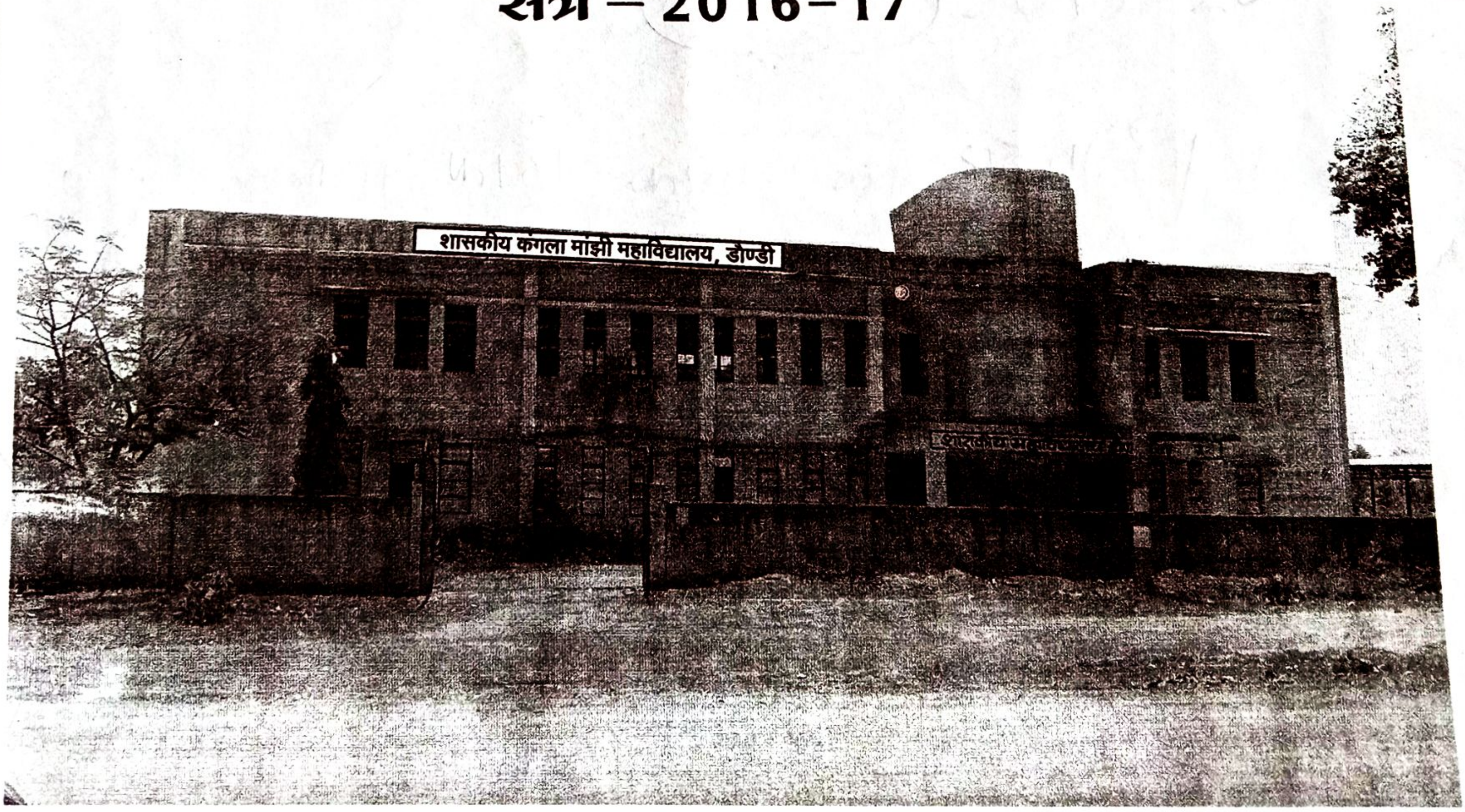

रैगिंग क्या है?

रैगिंक के अन्तर्गत :-

कोलाहल पूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिड़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासनहीन क्रियाकलापों में संलग्न होना जिससे नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यतया नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव हो तो अथवा उसके अथवा उसके जीवन के लिये खतरा हो।

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1, 1985) अनुच्छेद 2(29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :-

"किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना या प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव-मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरित हो या हास्यापद हो जाए या डरा धमकाकर गुप्त ढंग से रोककर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुंचाकर या उसे इस प्रकार की धमकी गलत अवरोध गलत ढंग से बंदी बनाकर चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।"

रैगिंग का स्वरुप :-

रैगिंग निम्नांकित रुपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नही) में पायी जाती है :-

स्पष्ट आदेश :-

सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए

सामूहिक कवायद करने के लिए

सीनियरों के लिए क्लास-नोट्स उतारने के लिए

अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए

सीनियरों के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए

अश्लील प्रश्न पूछने या उनका उत्तर देने के लिए

नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरित आघात पहुंचाने हेतु

अश्लील चित्रों को देखने के लिए

शराब, उबलती हुई चाय आदि पीने के लिए बाध्य करना

कामुक संकेतार्थ वाले कार्य-समलैंगिक कार्य सहित-करने के लिए बाध्य करना ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है, नंगा करना, चुंबन लेना आदि अन्य अश्लीलताऐं करना उपयुक्त से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रुपों से युक्त है।

रैगिंग में लिप्त होने पर दी जाने वाली दण्ड :-

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा-उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. आर्थिक दण्ड रुपये 25,000/- तक
8. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।

शासकीय कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, डौण्डी
जिला-बालोद (छ.ग.) 491228
नागरिक अधिकार-पत्र (सिटीजन चार्टर)

सन् 2006-07 में राज्य शासन के आदेश से छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बालोद जिले के एक मात्र आदिवासी विकासखण्ड में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने शासकीय महाविद्यालय आरंभ किया गया। महाविद्यालय के पाठ्यक्रम तथा परीक्षा संबंधी व्यवस्थाएँ पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा निर्धारित नियमों तथा निर्देशों के अनुसार होगी।

इस महाविद्यालय से संबंध विविध जानकारी निम्नलिखित है -

1. इस संस्था में पदस्थ प्राचार्य तथा उनसे मिलने का समय :- 12.00 से 4.00 बजे तक
2. संस्था में पढ़ाये जाने वाले संकायवार विषयों की कक्षावार एवं समूहवार जानकारी
    1. कला संकाय (स्नातक) अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल, आधार पाठ्यक्रम कम्युनिकेटिव इंग्लिस,
    2. विज्ञान संकाय (स्नातक) प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायन शास्त्र, माइक्रो बायोलाजी, आधार पाठ्यक्रम
    3. वाणिज्य संकाय (स्नातक) व्यावसायिक बैंकिंग, आधार पाठ्यक्रम

विषय :- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषय

3. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थान एवं विषय :-
    1. कला संकाय (स्नातक)
        1. बी.ए. भाग-एक उपलब्ध स्थान - 100
        2. बी.ए. भाग-दो उपलब्ध स्थान - 100
        3. बी.ए. भाग-तीन उपलब्ध स्थान - 100

विषय :- (अ) अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम एवं पर्यावरण अध्ययन समूह-रसायन शास्त्र, माइक्रोबायोलाजी, प्राणीशास्त्र अथवा वन्सपति शास्त्र

(ब) वैकल्पिक विषय - निम्नलिखित विषय चयन कर सकेंगे,

1. (कला संकाय-स्नातक)

   1. अर्थशास्त्र, 2. राजनीति शास्त्र 3. भूगोल

2. वाणिज्य संकाय (स्नातक)
    1. बी.काम. भाग-एक उपलब्ध स्थान - 70
    2. बी.काम. भाग-दो उपलब्ध स्थान - 70
    3. बी.काम. भाग-तीन उपलब्ध स्थान - 70

विषय :- पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के विषय

3. विज्ञान संकाय (स्नातक)
    1. बी.एस.सी. भाग-एक उपलब्ध स्थान - 70 } ग्रुप दो
    2. बी.एस.सी. भाग-दो उपलब्ध स्थान - 70 }

3. बी.एस.सी. भाग-तीन उपलब्ध स्थान - 70 100 + 30 (गणित) = 130.

विषय :- (अ) अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम (भाग 1, 2, 3)

(ब) वैकल्पिक विषय - समूह - रसायन शास्त्र, माइक्रोबायोलाजी, प्राणीशास्त्र, वनस्पति शास्त्र अथवा माइक्रोबायोलाजी

कक्षाओं में प्रवेश हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत

1. प्रयुक्ति – ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय महाविद्यालय में लागू होंगे ।

2. प्रवेश की तिथि –

2.1 प्रवेश हेत आवेदन पत्र जमा करना :-

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जावेंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी । बोर्ड/वि.वि. द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदनपत्र जमा किये जा सकंगे ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रक्रम को छोड़कर शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणामप्राप्त होने की स्थिति में तिथि से दस दिन अथवा वि.वि. बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से पंद्रह दिन जो भी पहले हो, मान्य होगी कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जायेगा, किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा ।

2.3 पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के पूनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणाक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी ।

2.4 स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणाक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार निर्धारित तिथि प्रवेश की पात्रता होगी ।

3. प्रवेश सूची :-

3.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणाक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित सूचना पटल पर लगाई जायेगी ।

3.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण-पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलानकर प्रमाणित किये जाने के उपरान्त एवं जहां आवश्यक हो स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी ।

3.3. निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा, प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त कर दिया जायेगा ।

3.4 प्रवेश सूची की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा । तथापि ऐसे प्रकरणों में शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

4. प्रवेश की पात्रता –

4.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा –

(क) छ.ग. के मूल/स्थायी छ.ग. में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/ राज्य केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैठकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छ.ग. में हो, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मु कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके

आश्रितों को ही महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणाक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबद्ध विश्वविद्यालय से या संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालयों में प्रवेश की पात्रता होगी।

4.2 स्नातक स्तर नियमित प्रवेश -

(क) 1. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। 10+2 परीक्षा का तात्पर्य छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमिडियट बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

2. विज्ञान संकाय मेंप्रवेश हेतु आवेदित विज्ञान विषय लेकर उत्तीर्ण हो।

3. वाणिज्य संकाय में प्रवेश हेतु वाणिज्य/विज्ञान/गणित या सांख्यिकी के साथ कला संकाय के विषय लेकर/कला विषय के अन्य विषय समूह लेकर उत्तीर्ण छात्रों को वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

4. कला संकाय प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। कृषि/गृह विज्ञान अन्य विषय समूह लेकर उत्तीर्ण आवेदकों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर की प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5. अस्थायी प्रवेश की पात्रता -

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

5.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्त्तव्य अवधि के उपरांत अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रुप में मान्य होगा।

6. प्रवेश हेतु आर्हताएँ -

6.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने/अध्ययन छोड़ देने/अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिये हैं ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु नहीं माना जायेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रामाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो, कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा

6.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों/परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।

6.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत हैं।

6.4 स्नातक स्तर पर 22 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। प्रवेश मे अ.जा./अ.ज.जा./पि.वर्ग महिला/विकलांग आवेदकों के लिए आयु सीमा में तीन वर्ष की छुट रहेगी। आयु की गणना 1 जुलाई के आधार पर की जायेगी।

6.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उनकी लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

6.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी

7. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण -

7.1 उपलब्ध स्थानों के अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

7.2 स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु अर्हकार परीक्षा के प्राप्तांक एवं जहां अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।

7.3 सामान्य एवं आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

8. प्रवेश हेतु प्राथमिकता -

8.1 प्रथम वर्ष स्नातक में प्रवेश हेतु प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अर्हकारपरीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भुतपूर्व नियमित परीक्षार्थी छात्र, तत्पश्चात् स्थान रिक्त होने पर स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।

8.2 स्नातक अगली कक्षाओं में उपर्युक्त प्राथमिकता में उत्तीर्ण नियमित परीक्षार्थी छात्रों के बाद एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी। अन्य क्रम यथावत रहेगा।

8.3 आवेदक अर्हकारी द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान तहसील/जिला में स्थित या आस-पास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है, तो ऐसे आवेदकों के आवेदन पर विचार न करते हुए उसे विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य अपने नगर/तहसील/जिला की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दे सकते हैं। आवेदकों के निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आस-पास के अन्य जिलों में समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जायेगा।

9. आरक्षण-छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप नियमानुसार होगा -

9.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिये क्रमशः 15 व 18 प्रतिशत स्थान आरक्षित हों। इन दोनों वर्गों के स्थान आपस में परिवर्तनीय होगा।

9.2. पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

9.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों एवं उनके पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रुप में 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांक का 10 प्रतिशत अधिभार अंकों को देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा।

9.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत महिला छात्राओं के लिए होंगे।

9.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी (ओपन काम्पीटीशन) में नियमानुसार मेरिट सूची में परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी और शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

9.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है, तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने वाले पर आरक्षित स्थान की संख्या 1 होगी।

9.7 प्रवेश की अंतिम निर्धारित तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये पर्याप्त छात्र/छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

9.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

10. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन -

(क) यदि कोई विद्यार्थी स्नातक प्रथम में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहे तो उसके प्राप्तांकों के 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए अंकों कर देय होगा।

(ख) महाविद्यालय में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका क्रमांक 2.2 में निर्देशित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

11. शुल्क संबंधी जानकारी -

(अ) शासकीय शुल्क :-

1.	पूरे सत्र का शिक्षण शुल्क	-	115/-
2.	प्रयोगशाला शुल्क	-	20/-
3.	लेखन सामग्री शुल्क	-	2/-
4.	प्रवेश शुल्क	-	3/-

(ब) अशासकीय शुल्क :-

1.	छात्र संघ प्रवेश	-	2/-
2.	निर्धन छात्र कल्याण शुल्क	-	5/-
3.	परिचय पत्र	-	10/-
4.	महाविद्यालयीन विकास शुल्क	-	25/-
5.	सम्मिलित निधि	-	32/-
6.	वार्षिक स्नेह सम्मेलन	-	5/-
7.	चिकित्सा शुल्क	-	3/-
8.	छात्रा कामन रुम	-	20/-
9.	महाविद्यालयीन ग्रंथागार वि.शुल्क	-	10/-
10.	साईकल स्टैंड शुल्क	-	6/-
11.	धरोहर राशि (सुरक्षा निधि)	-	60/-
12.	रेडक्रास सोसायटी	-	25/-

(स) विश्वविद्यालय शुल्क :-

1.	क्रीड़ा समिति (शारीरिक कल्याण शुल्क)	-	150/-
2.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क (आनलाईन द्वारा)	-	100/-
3.	विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क (सत्र के मध्य में वि.वि. द्वारा निर्धारित किया जाता है)		
4.	अप्रवासन शुल्क (माइग्रेशन) भारतीय छात्र	-	220/-
	विदेशी छात्र	-	250/-
(द)	जनभागीदारी शुल्क	-	400/-
	ईकाई मूल्यांकन शुल्क	-	50/-

टीप :- (शासन द्वारा शुल्क निर्धारण परिवर्तन होता रहता है)

12. निःशुल्क स्टेशनरी :-

छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को सत्र में एक बार प्रति विद्यार्थी को 50/- की स्टेशनरी निःशुल्क प्रदाय होता है ।

13. संस्था में उपलब्ध खेल-कूद एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी -

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक क्षमताओं के विकास पर ध्यान दिया जाता है ।

महाविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न क्रीड़ा के क्षेत्र में क्षेत्र स्तर, अंतर क्षेत्र स्तर/अंतर विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है।

14. राष्ट्रीय सेवा योजना :-

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाया जाता है, निर्धारित कार्य घंटे पूर्ण करने पर उन्हें क्रमशः बी एवं सी प्रमाण पत्र की पात्रता है।

14.- रेड क्रॉस : —— स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

15. युवा उत्सव :-

युवा उत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र-छात्राओं के कलात्मक पक्ष को सामने लाया जाता है।

16. (1) छात्रवृत्ति :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छ.ग. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका लाभ लेने हेतु छात्र-छात्राओं को अपने पालक/पिता सक्षम अधिकारी द्वारा आय प्रमाण पत्र तथा स्वयं की जाति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होता है। छात्रवृत्त आवेदन पत्र सामान्यतः प्रवेश के पश्चात कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

नोट :- स्थायी जाति प्रमाण पत्र जमा करने पर ही छात्रवृत्ति की पात्रता बनती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले माता/पिता/अभिभावक के पुत्र/पुत्री/पाल्य को वर्तमान सत्र से निःशुल्क पुस्तकें एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता शासन के निर्देशानुसार है।

(2) अन्य छात्रवृत्ति -

क्र. (1)	छात्रवृत्ति का प्रकार (2)	अवधि (3)	दर (4)	अधार (5)
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां (क) स्नातमक (सामान्य)	प्रथम वर्ष प्रतिमाह अवधि 3 वर्ष माह गैर छात्रावासी	100 रु. (छात्रावासी) 60 रु. प्रति	माध्यमिक शिक्षा मंडल छ.ग. की 12वीं परीक्षा का प्रावीण्य सूची में आने पर एवं निर्धारित कोटे के अंतर्गत साधन अर्हकारी परीक्षा के आधार पर डिग्री पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए, पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए,
(8)	खदान समूह छात्रवृत्ति प्रति छात्र 3000/-			
		शेष 2 वर्ष	90 रु. प्रतिमाह गैर छात्रावासी, 140 रु. प्रतिमाह छात्रावासी 100 रु. प्रति माह	
2.	स्नातकोत्तर	2 वर्ष	350 रु. प्रतिमाह गैर छात्रावासी, 200 रु. प्रतिमाह छात्रावासी	छत्तीसगढ़ के सामान्य शिक्षा वि.वि. का अंतिम वर्ष (स्नातक) की प्रावीण्य में आने पर एवं निर्धारित कोटे के अंतर्गत
3.	प्रायमरी एवं माध्यमिक	3 वर्ष	72 रु. प्रति माह छात्रावासी प्रथम वर्ष, 50 रु. प्रतिमाह गैर छात्रावासी प्रथम वर्ष	छत्तीसगढ़ के सामान्य शिक्षा वि.वि. का अंतिम वर्ष (स्नातक) की प्रावीण्य में आने पर एवं निर्धारित कोटे के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल. छ.ग. की 12वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर सामान्य परीक्षा के अन्तर्गत

क्र. (1)	छात्रवृत्ति का प्रकार (2)	अवधि (3)	दर (4)	अधार (5)
4.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति (1) पोष्ट मैट्रिक (10+2) के पश्चात	3 वर्ष	75 रु. प्रति माह छात्रावासी 65 रु. प्रतिमाह 90 रु. प्रतिमाह छात्रावासी	केवल योग्यता के आधार पर (अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत 50 या उससे अधिक तथा पिता एवं माता की वार्षिक आय रु. 90,000 से अधिक न हो)
(2)	स्नातकोत्तर	2 वर्ष	190 रु. प्रतिमाह गैर छात्रावासी	योग्यता
(3)	स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियाँ	20 माह	250 रु.प्रतिमाह छात्रावासी	योग्यता
	स्नातकोत्तर शिष्यावृत्तियाँ	20 माह	250 रु. प्रतिमाह	योग्यता एवं साधन (आय सीमा रु. 24,000 वार्षिक की अधीन) उपाधि परीक्षा में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों ।
(4)	स्नातक छात्रवृत्तियाँ	30 माह	150 रु. प्रतिमाह	केवल योग्यता इस छात्रवृत्ति हेतु वे छात्र आवेदन करें जिन्होंने हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों जिसके पिता एवं माता की वार्षिक आय सीमा रु. 24,000 निर्धारित की गयी है।
5.	स्नातक शिष्यावृत्तियाँ	30 माह	150 रु. प्रतिमाह	योग्यता एवं साधन शिष्यवृत्ति हेतु वे ही छात्र/छात्राएं आवेदन करें जिन्होंने हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हों तथा माता-पिता की आय रु. 24,000 वार्षिक से अधिक न हों ।
6.	अनु.जाति/अनु. जनजाति	एम.ए./ एम.कॉम पूर्व/अंतिम	350 रु प्रतिमाह	आय सीमा 50,000 रु. तक पूर्ण शुल्क व पूर्ण निर्वाह भत्ता रु., 50,920/- तक पूर्ण शुल्क एवं आधा निर्वाह भत्ता
		समूह प्रथम समूह द्वितीय	330 रु. प्रतिमाह बी.ए./ बी.कॉम./बी.एस.सी. भाग दो/तीन	-तदैव-
7.	पिछड़ावर्ग प्री. मै. छा.	समूह तृतीय	185/- प्रतिमाह बी.ए./ बी.कॉम/बी.एस.सी. प्रथम वर्ष	-तदैव-
		चतुर्थ समुह	140/- प्रतिमाह	-तदैव-
			गैर छात्रावासी प्रथम वर्ष छात्र 55 रु. छात्रा 70 रु. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष छात्र 70 रु. छात्रा 85 रु. स्नातकोत्तर पूर्व छात्र 100 रु. छात्रा 110 रु. स्नोताकोत्तर छात्र105/- छात्रा 115/- छात्रावासी प्रथम वर्ष, छात्र 100 रु. छात्रा 110/- द्वितीय एवं तृतीय वर्ष, छात्र 115/- एवं छात्रा 130/- स्नातकोत्तर पूर्व, छात्र 125/- छात्रा 135/- स्नातकोत्तर अंतिम, छात्र 130/- छात्रा 145/	रु. 9000/- तक पूर्ण शुल्क निर्वाह भत्ता रु. 12000/- तक पूर्ण शुल्क व आधा निर्वाह भत्ता

(9) सत्र 2013-14 से अ.जा./अ.जा./अ.पि.वर्ग के विद्यार्थियों को ऑनलाईन छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

टीप :-

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र पर छात्र/छात्राओं को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल विश्वविद्यालय द्वारा उनके घर पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते हैं। इन आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा संस्था प्रमुख के माध्यम से महाविद्यालयीन शिक्षा को भेजे जाने चाहिये।
2. स्नातक शिष्यवृत्तियाँ आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा के आबंटन के आधार पर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा स्वीकृत की जाती है।
3. अन्य शेष सभी छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र के माध्यम से संचालक महाविद्यालयीन शिक्षा को निर्धारित तिथि के भीतर भेजे जाने चाहिये।
4. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर सभभ छात्रवृत्तियोंहेतु आवेदन पत्र विद्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।
5. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथि महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित की जावेगी।
6. छात्रवृत्ति की राशि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है।

17. अतिरिक्त शुल्क :-

उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन के वैकल्पिक निर्देश के अनुसार अतिरिक्त प्रायोगिक कक्षाओं के लिए शुल्क लेने का प्रावधान है किन्तु हमारे महाविद्यालय में सुविधा होने पर ही उसकी व्यवस्था रहेगी अन्यथा नहीं जिसकी सूचना अलग से दी जावेगी।

18. शुल्क संबंधी रियायतें :-

योग्य निर्धन विद्यार्थियों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता शुल्क में छूट व छात्र सहायता प्रदान की जाती है। रियायत के नाम पर केवल शिक्षण शुल्क में ही रियायत दी जाती है।

1. छ.ग. शासन में सेवारत समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए अध्ययन शुल्क में पूर्ण रियायत की जाती है
2. फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि को तोड़-फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभभ इकाई परीक्षाओं त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है
2. अस्वस्थतावश आन्तरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा, तथा स्वस्थ होने के उपरान्त परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि छात्र किसी अनैतिकता मूलक या गंभीरा अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गयातो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिशोध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर 5 साल तक कारावास की सजा या जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक्क कर दिया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में

उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे । छात्रों को जिस कार्यालय में उनके माता-पिता सेवारत हों उस कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी ।

5. विद्यार्थी सहायता कोष से निर्धन व प्रतिभावान विद्यार्थी को ही सहायता दी जायेगी ।

6. छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिए अध्ययनन शुल्क में पूर्ण रियायत बरती जायेगी ।

7. राजनीतिक पीड़ितों के बालक यदि निर्दिष्ट छात्रवृत्ति के उपयुक्त हैं तो शिक्षण के भर्फेंगतान से मुक्त होंगे परन्तु किसी भी अवस्था में दोनेां सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा ।

8. यदि दो या अधिक भाई-बहन एक ही परिवार से इस महाविद्यालय में एक ही सन् में अध्ययन करते हैं तो उनमें से सबसे बड़े को पूर्ण शिक्षण शुल्क और शेष को आधा शुल्क देना होगा ।

9. शासन की ओर से कृषक पुत्रों/पुत्रियों के शिक्षण शुल्क में रियायत का प्रावधान बी.कॉम और बी.ए. के किसी भी कक्षा में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थियों को सत्र में मात्र 78 रु. शिक्षण शुल्क जमा करना होगा व बी.एस.सी. के किसी कक्षा में अध्ययनरत कृषक पुत्र/पुत्रियों को प्रत्येक सन् में 90 रु. देना होगा ।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएं शिक्षण शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं इसके लिए उन्हें जिलाधीश से या अधिकृत स्थायी अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । ऐसे छात्र-छात्राओं को समय-समय पर महाविद्यालय के सूचना पटल में दी सूचनाओं को अवलोकन करते रहना चाहिये । अन्य शुल्क इन्हें पूरे जमा करने हेंगे । मात्र शिक्षण शुल्क में ही छूट का प्रावधान है ।

11. छात्राएं केवल शिक्षण शुल्क से मुक्त होगी ।

12. सुरक्षा निधि की वापसी हेतु तिथि अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर माह में प्राचार्य द्वारा घोषित की जायेगी ।

19. प्रवेश पत्र एवं परिचय पत्र :-

प्रवेश पत्र महाविद्यालय में प्रवेश का सूचक है, उसमें समस्त देय शुल्कों का विवरण निर्दिष्ट करता है । प्रत्येक विद्यार्थियों को चाहिये कि विभिन्न विषयेां के प्राध्यापकों से तथा लेखापाल से इस पर हस्ताक्षर करा लें । प्रवेश पत्र गुम हो जाने पर पुनः 5 रु. जमा करके द्वितीय प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र होगा, अपनी उपस्थिति के दौरान परिचय पत्र को पास में रखना अनिवार्य है। इसके पास न होने पर महाविद्यालय में पुस्तकालय में अन्य स्थानों पर जहां भी इसकी न्यायोचित उपयोगिता हो छात्र को लाभ से वंचित किया जा सकता है । परिचय पत्र में विद्यार्थी की पासपोर्ट साइज फोटो भी लगी होनी चाहिये । फोटो सहित परिचय पत्र की प्राचार्य द्वारा प्रमाणित करा लेना चाहिये । परिचय पत्र के गुम हो जाने पर 10 रु. जमा करके द्वितीय परिचय पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

20. अनुशासन भंग होने पर :-

प्राचार्य को यह भी अधिकार है कि किसी भी छात्र का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दे, यदि वह -

1. विद्यार्थी महाविद्यालय की बकाया राशि निर्धारित तिथि के अन्त तक नहीं चुकाये ।
2. महाविद्यालय में तथा महाविद्यालय परीक्षा से लगातार अनुपस्थित हो ।
3. यदि विद्यार्थी का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि में असंतोषजनक हो ।
4. रैगिंग या किसी प्रकार के अपराध में संलग्न हो ।
5. जनहित के विरुद्ध या अनुशासनहीनता का आचरण करने पर ।

नोट :- रैगिंग संबंधी शिकायत के लिए एक शिकायत पेटी महाविद्यालय में रखी गई है ।

21 विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान :-

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1963 के अधिन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासनहीनता के लिए आदेश में निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है -

1. निलंबन
2. निष्कासन
3. विश्वविद्यालय में सम्मिलित होने से रोकना
4. रेस्टीकेशन

22. छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों की महाविद्यालयों में नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर व शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा ।

1. विद्यार्थीशालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्योत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा ।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालिन व्यवहार करेगा । अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली गलौच या मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा ।
5. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
6. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दिवालों को गंदा करना सशक्त मना है । विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
7. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा, तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।
8. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंध रहेगा ।

अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी को 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी । तथा वह/एन.एस.एस./ में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्शिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी ।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथना रखेगा ।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धाक्षरत संख्या में ही पुस्तक प्राप्त होगी । तथा समय से न लौटाने पर दण्ड देना होगा ।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से आवेदन प्रस्तुत करेगा ।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट.

23. पात्रका प्रमाण पत्र :-

इस महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र/छात्राएं इस महाविद्यालय को छोड़कर यदि छ.ग. के बाहर के वि.वि. परीक्षा उत्तीर्ण होकर आते हैं, तो उन्हें प्रवेश देने के पूर्व वि.वि. से प्रात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जायेगा।

इस प्रकार यदि माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी नई दिल्ली द्वारा संचालित 10+2 (बारहवीं) परीक्षा उत्तीर्ण को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री डिग्री युनिवर्सिटी परीक्षा को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा प्री डिग्री युनिवर्सिटी परीक्षा उत्तीर्ण कर आने वाले छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश दिया जायेगा।

पात्रता हेतु उन्हें समस्त पूर्व परीक्षाओं के अंकसूचियों की अभिप्रमाणित स्वच्छ फोटो प्रतियां एवं उपाधि प्रमाण पत्र प्रवजन प्रमाण पत्र की फोटो स्टेट प्रतियों एवं समस्त उपधि प्रमाण पत्रों के साथ वि.वि. भेजना होगा, जिसमें सेकण्डरी तथा हायर सेकण्डरी की अंकसूचियों की फोटो प्रति संलग्न करना आवश्यक है। उक्त कागजात प्राप्त होने पर ही पात्रता हेतु निर्धारित फीस 40/- (चालीस रुपये मात्र) जमा करना आवश्यक होगा तथा विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने पर 200/- (दो सौ रुपये) विलंब शुल्क लगेगा, जो नियमित छात्रों के लिए प्रवेश की तिथि समाप्त होते ही तथा महाविद्यालयीन छात्रों के लिए आवेदन पत्र ही विलंब शुल्क लागू होता है उसकी तिथि से विलंब शुल्क लागू हो जायेगा।

24. नियमित विद्यार्थियों के लिये महत्वपूर्ण सूचना :-

क्र.	विवरण	जिम्मेदार अधिकारी	समय सीमा	निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही न होने की दिशा में किस स्तर के अधिकारी से सक्पर्क किया जा सकता है।
1.	सभी प्रकार के रिपडका भुगतान महाविद्यालय के	संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य	आवेदन प्राप्ति 15 दिवस के अंदर	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा
2.	प्राचार्य द्वारा क्रय की गई सामग्री के देयकों का	शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य	बिल प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा

3. उपरोक्त कालम में 5 अंकित अधिकार को समय सीमा में कार्यवाही न किये जाने की शिकायत भी की जा सकती है। मंत्रालय स्तर पर अपर सचिव उच्च शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उन शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करते हैं। संचालक उच्च शिक्षा स्तर पर जन शिकायतों के निराकरण हेतु अतिरिक्त संचालक स्तर के अधिकारियों का जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य को जन शिकायत स्तर पर एवं संभाग स्तर पर 1 दिन तथा राज्य स्तर पर 30 दिन का समय सीमा निर्धारित की गई है।

4. सिटीजन चार्टर के अंतर्गत यदि आवेदक को निर्धारित समय सीमा में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में शासकीय कर्मियों को दंडित करने के पर्याप्त प्रावधान है।

5. सिटिजन चार्टर के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निराकरण यथा संभव आवेदन प्राप्ति के क्रम के अनुसार किया जाये।

6. नि:शुल्क (समान अवसर अधिकार संरक्षण द्वारा पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अनुसार नि:शक्त के लिए प्रवेश स्थान आरक्षित है।

महाविद्यालय परिवार

	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत्/रिक्त
1.	प्राचार्य	(01)	रिक्त
2.	सहा. प्राध्यापक भूगोल	(01)	डॉ. आर. के. ठाकुर
3.	सहा. प्राध्यापक अर्थशास्त्र	(01)	श्री व्ही.के. कोमा
4.	सहा. प्राध्यापक राजनीति शास्त्र	(01)	~~रिक्त~~
5.	सहा. प्राध्यापक प्राणी शास्त्र	(01)	~~रिक्त~~
6.	सहा. प्राध्यापक रसायन शास्त्र	(01)	~~डॉ. श्रीमती गिरिजा पटेल~~
7.	सहा. प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र	(01)	रिक्त
8.	सहा. प्राध्यापक सूक्ष्म जीवविज्ञान	(01)	रिक्त
~~9.~~	~~सहा. प्राध्यापक हिन्दी~~	~~(01)~~	~~रिक्त~~
10.	सहा. प्राध्यापक अंग्रेजी	(01)	~~रिक्त~~
11.	सहा. प्राध्यापक वाणिज्य	(01)	रिक्त
12.	सहायक ग्रेड (01)	(01)	श्री ~~एच. आर. वर्मा~~
13.	सहायक ग्रेड (02)	(01)	श्री विनोद कुमार भंडारी
14.	सहायक ग्रेड (03)	(01)	श्री अश्वनी प्रधान
15.	प्रयोगशाला तकनीशियन	(03)	श्री के.एस. साहू
16.	प्रयोगशाला तकनीशियन		श्री अशोक रवि
17.	भृत्य	(02)	श्री बसंत कुमार भुआर्य श्री जितेन्द्र कुमार ध्रुव
18.	प्रयोगशाला परिचारक	(03)	राहूल देव कुमार देवागंन दिलीप कुमार बंछोर भूपेन्द्र कुमार गायकवाड

—: महाविद्यालय परिवार :—

क्र.	विषय	स्वी.	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम
1.	प्राचार्य	01	——— रिक्त ———
2.	सहा. प्राध्यापक हिन्दी	01	डॉ. यू.के.मिश्र (प्राध्यापक एवं प्र.प्राचार्य)
3.	सहा. प्राध्यापक भूगोल	01	श्री एन. के. साकरे
4.	सहा. प्राध्यापक अंग्रेजी	01	श्री आर. पी. निषाद
5.	सहा. प्राध्यापकअर्थशास्त्र	01	श्री व्ही. के. कोमा
6.	सहा. प्राध्यापक प्राणी	01	श्रीमती राधेश्वरी देशमुख
7.	सहा. प्राध्यापकराजनीति	01	श्री योगेश्वर साहू
8.	सहा. प्राध्यापक इतिहास	01	श्री दीपक कुमार मेश्राम
9.	सहा. प्राध्यापक रसायन	01	——— रिक्त ———
10.	सहा. प्राध्यापक भौतिक	01	——— रिक्त ———
11.	सहा. प्राध्यापक वनस्पति	01	——— रिक्त ———
12.	सहा. प्राध्यापक गणित	01	——— रिक्त ———
13.	सहा. प्राध्यापक माइक्रो	01	——— रिक्त ———
14.	सहा. प्राध्यापक वाणिज्य	01	——— रिक्त ———
15.	सहा. प्राध्यापक हिन्दी साहित्य	01	——— रिक्त ———
16.	सहा. प्राध्यापक समाजशास्त्र	01	——— रिक्त ———
17.	सहायक ग्रेड – 01	01	श्री एस. एल. ध्रुव
18.	सहायक ग्रेड – 02	01	——— रिक्त ———
19.	सहायक ग्रेड – 03	01	——— रिक्त ———
20.	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	श्री के. एस. साहू **9009328360**
			——— रिक्त ———
			——— रिक्त ———
21.	प्रयोगशाला परिचारक	03	श्री राहुल देव कुमार देवॉगन
			श्री भूपेन्द्र कुमार गायकवाड़
			श्रीमती पूर्णिमा रावटे
22.	भृत्य	02	श्री बंसत कुमार भुआर्य **6267183826**
			श्री जितेन्द्र कुमार ध्रुव **9691422316**

- **वर्तमान सत्र में गठित जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश जैन (डौण्डी) है।**
- **रिक्त पदों पर शासन के निर्देशानुसार अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति द्वारा अध्यापन कार्य संचालित होता है।**

7.1.10

शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय, डौण्डी
जिला – बालोद (छत्तीसगढ़)

E-mail ID - Kmcollege.doundi@gmail.com

स्थापना 18 जुलाई 2006

विवरण पत्रिका 2020

परिचय :– जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित स्वतन्त्रता सेनानी क्रांतिवीर कंगला मांझी के नाम पर संचालित यह महाविद्यालय प्राकृतिक सुषमा से युक्त डौण्डी नगर से 02 किलोमीटर पूर्व ग्राम पंचायत कामता में स्थापित है। 08 जुलाई 2006 में स्थापित आदिवासी क्षेत्र का यह एक मात्र महाविद्यालय 13 अगस्त 2008 से अपने नये भवन दल्लीराजहरा–भानुप्रतापपुर मार्ग पर 3.50 एकड़ क्षेत्रफल में संचालित है। आदिवासी छात्र–छात्राओं से भरा–पूरा यह महाविद्यालय स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में हेमचन्द यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.) से स्थायी रुप से सम्बद्ध है तथा अनेक सकारात्मक कारणों से क्षेत्र में आकर्षण का केन्द्र बना हैं।

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है।

महाविद्यालय में संचालित संकाय एवं पाठ्यक्रम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष :–

स्नातक (कला संकाय) :– कुल स्थान – 150

अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण

राजनीति विज्ञान, भूगोल

ऐच्छिक अर्थशास्त्र/इतिहास (कुल स्थान – 45)

हिन्दी साहित्य/समाज शास्त्र (कुल स्थान – 40)

स्नातक (विज्ञान संकाय) :– कुल स्थान – 100

अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण

बायो समूह रसायन, जन्तु विज्ञान

ऐच्छिक वनस्पति विज्ञान/सूक्ष्म जीवविज्ञान

गणित समूह रसायन, भौतिकी, गणित कुल स्थान – 30

स्नातक (वाणिज्य संकाय) :– कुल स्थान – 70

अनिवार्य विषय – हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण

सभी अनिवार्य विषय

स्नातकोत्तर (कला संकाय)

भूगोल कुल स्थान – 20

राजनीति विज्ञान कुल स्थान – 20

पी.जी.डी.सी.ए. (एक वर्षीय) कुल स्थान – 40

–: विशेष सुविधाएं :–

ग्रंथालय एवं वाचनालय :– महाविद्यालय में स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य के तीनों वर्षो के लिए पर्याप्त पुस्तकें उपलब्ध हैं। वर्तमान में लगभग 7,000 (सात हजार) पुस्तकों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बी.पी.एल. छात्र–छात्रा के लिए भी बुक–बैंक की व्यवस्था हैं। इसके अतिरिक्त ग्रंथालय में साहित्यिक एवं प्रतियोगिता की तैयारी हेतु कम्प्यूटर, पी.एम.टी., पी.ई.टी., सामान्य ज्ञान, प्रतियोगिता दर्पण, महापुरुषों के जीवन पर आधारित पुस्तकें, रोजगार समाचार, रोजगार नियोजन, दैनिक समाचार–पत्र (नवभारत, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पत्रिका, The Hitavada (अंग्रेजी)) आदि उपलब्ध हैं। छात्र–छात्राओं के अध्ययन के लिए महात्मा गांधी वाचनालय की स्थापना की गई हैं।

प्रयोगशाला :– महाविद्यालय में रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं भूगोल विषयों में अलग–अलग प्रयोगशाला की व्यवस्था है। यहाँ छात्र–छात्राएं संबंधित प्राध्यापक, प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक की देखरेख में प्रायोगिककार्य सम्पन्न करते हैं।

कम्प्यूटर कक्ष :– महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर में दक्षता प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर कक्ष में दस कम्प्यूटर सेट की व्यवस्था है सहायक प्राध्यापक श्री एन.के.साकरे एवं प्रयोगशाला परिचारक श्री राहुल देवाँगन इसके प्रभारी हैं।

रेडक्रॉस (रेडरिबन क्लब) :– महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब का प्रारम्भ किया गया है जिसके प्रभारी श्री विनोद कुमार कोमा है। जिन छात्र–छात्रा को एन.एस.एस. में स्थान नहीं मिल पाता वे इसमें पंजीकृत होकर स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता लाने का प्रयास करते हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना :– महाविद्यालय में जुलाई 2013 से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई संचालित है। यहाँ पंजीकृत छात्र–छात्राओं के लिए 100 की संख्या निर्धारित है। कार्यक्रम अधिकारी श्री विनोद कुमार कोमा के मार्गदर्शन में "बी" प्रमाण पत्र एवं "सी" प्रमाण पत्र के छात्र–छात्रा पंजीकृत होते हैं। यहाँ के छात्र–छात्रा राज्य स्तरीय एवं राष्ट्र स्तरीय शिविर में भाग ले चुके हैं। इकाई द्वारा गोद ग्राम का चयन, दैनिक गतिविधि एवं विशेष सप्त दिवसीय शिविर संचालित होते हैं।

क्रीड़ा (खेलकूद) विभाग :– महाविद्यालय में संचालित क्रीड़ा विभाग के प्रभारी श्री एन.के.साकरे हैं। शतरंज, व्हालीवॉल, कैरम, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, चायनीस चेकर आदि के साथ–साथ गोला, तवा, भाला, खो–खो, कबड्डी आदि के लिए अभ्यास (प्रतियोगिता) कराया जाता हैं।

पत्रिका प्रकाशन :– महाविद्यालय में वार्षिक पत्रिका "मांझी" का प्रकाशन किया जाता है जिसमें प्राध्यापक एवं छात्र/छात्रा की रचना प्रकाशित की जाती है।

रोजगारोन्मुख गतिविधियाँ (विशेष कोचिंग) :– महाविद्यालय में पाठ्यक्रम अध्यापन के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु इच्छुक छात्रों की अतिरिक्त कक्षाये ली जाती है। साथ ही साथ इन कक्षाओं में रोजगार हेतु मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किये जाते है।

विद्यार्थियों हेतु निर्देश :–

1) रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाले दण्ड :– प्रवेश निरस्त किया जाना, कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना, छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना, परीक्षाओं से वंचित करना, परीक्षा परिणाम रोकना, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा–उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध, आर्थिक दण्ड रुपये 25,000/–तक,संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
2) महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग वर्जित है।
3) महाविद्यालय में कक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात् महाविद्यालय परिसर में प्रवेश की मनाही है। इसी प्रकार समस्त कक्षाओं की समाप्ति पश्चात् ही विद्यार्थियों को जाने की अनुमति है।
4) महाविद्यालय में समस्त विद्यार्थी **शालीन वेशभूषा** में ही उपस्थित होंगें। किसी प्रकार की **अशोभनीय वेशभूषा** में विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
5) महाविद्यालय में पार्किंग शेड में व्यवस्थित ढ़ंग से साइकिल/वाहन आदि की पार्किंग करेंगें।
6) प्राचार्य एवं अनुशासन समिति द्वारा छात्र/छात्रा को दिये गये निर्देश सभी के लिए मान्य होंगें।

7.1.10

शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय डौण्डी, जिला– बालोद (छ0ग0)

समिति गठन

क्रमांक	समिति	संयोजक / सदस्य
1	आंतरिक परीक्षा संचालन समिति	श्री एन.के.साकरे
		श्री आर.पी.निषाद
		श्रीमती राधेश्वरी देशमुख
2	अनुशासन समिति	श्रीमती राधेश्वरी देशमुख
		श्री योगेश्वर साहू
		श्री भूपेन्द्र कुमार
3	अकादमिक कैलेण्डर समिति	श्री एन.के.साकरे
		श्री दीपक मेश्राम
		श्री राहुल देवांगन
4	योजना समिति	श्री योगेश्वर साहू
		श्री आर.पी.निषाद
		श्री राहुल देवांगन
5	सूचना प्रौद्योगिकी समिति	श्री एन.के.साकरे
		श्री योगेश्वर साहू
		श्री भूपेन्द्र कुमार
6	छात्र फीडबेक समिति	श्री दीपक मेश्राम
		श्रीमती राधेश्वरी देशमुख
		श्री राहुल देवांगन
7	ग्रीन आडिट समिति	श्रीमती राधेश्वरी देशमुख
		श्री योगेश्वर साहू
		श्री के.एस.साहू

प्राचार्य

Principal
Govt. Kanglamanjhi College
Doundi, Distt. Balod (C.G.)